न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री भँवर लाल मेहरा, आई.ए.एस.

अपील संख्या : 12/2019 शस्त्र अधिनियम्

अनवानी :— संदीप पुत्र महेशचन्द्र जाति जाट निवासी वार्ड : 26, ए.वी.एम. पब्लिक स्कूल के पास, राजगढ जिला चूरू।

—— अपीलान्ट

— बनाम —

राजस्थान राज्य।

—— रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :— श्री बालकिशन शर्मा अभिभाषक अपीलांट

श्री गजेन्द्रसिंह सहायक लोक अभियोजक, राज्य पक्ष की ओर से।

निर्णय

दिनांक : 13.09.2021

1. यह अपील शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत अति. जिला मजिस्ट्रेट, चूरू के आदेश दिनांक 13.05.2019, जिसमें अपीलांट के नाम से नवीन शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी करवाने हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र निरस्त किये जाने की सूचना प्रेषित की गयी, के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।
2. अपील में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट ने अपने पिता स्व.श्री महेशचन्द्र के नाम से शस्त्र अनुज्ञा पत्र सं. 85/1983 डीएम, बीकानेर व आर्म्स लाईसेंस नं. 732/1993 डीएम चूरू पर दर्ज एक बारह बोर डीबीबीएल गन नं. 17854/सी/4 को बतौर उत्तराधिकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से अपने नाम से नवीन शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी करवाने हेतु जिला मजिस्ट्रेट, चूरु के समक्ष दिनांक 09.06.2018 को निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर जिला पुलिस अधीक्षक, चूरू, एवं उप वन संरक्षक चूरू से जांच रिपोर्ट ली गई। जिला पुलिस अधीक्षक, चूरू से पत्र दिनांक 28.09.18 द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें आवेदक के जीवन को खतरा होने सम्बन्धी कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई। उप वन संरक्षक, चूरू की रिपोर्ट दिनांक 16.10.18 में भी आवेदक को शस्त्र अनुज्ञा पत्र दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं होना अवगत करवाया है। प्रकरण में पुलिस एवम् वन विभाग की रिपोर्ट में आवेदक के जीवन को खतरे सम्बन्धी कोई टिप्पणी नहीं होने, तथा आवेदक के जीवन को खतरा होने के सम्बन्ध में कोई दस्तावेज पत्रावली में

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

संलग्न नहीं होने पर जिला मजिस्ट्रेट, चूरु के आदेश/पत्र क्रमांक 2921 दिनांक 13.05.19 के अनुसार अपीलान्ट को सूचना प्रेषित की गयी कि " प्रकरण का परीक्षण करने पर पाया कि शस्त्र आवश्यकता का कोई ठोस आधार नहीं है तथा ना ही जीवन को खतरे संबंधी कोई दस्तावेज पत्रावली पर है। ऐसी स्थिति में शस्त्र लाईसेंस जारी करने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है तथा आपका आवेदन पत्र निरस्त कर दिया गया है। तद्नुसार सूचना प्रेषित है।" का उल्लेख करते हुए अपीलान्ट का आवेदन पत्र निरस्त कर दिया गया। उक्त सूचना पत्र से व्यथित होंकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट श्री बाल किशन शर्मा ने लिखित बहस प्रस्तुत की, जिसमें मुख्य कथन किया कि अपीलांट ने अपने स्वर्गीय पिता श्री महेशचन्द्र के नाम से जारी शस्त्र अनुज्ञा पत्र सं. 85/1983 डीएम, बीकानेर व आर्म्स लाईसेंस नं. 732/1993 डीएम चूरू पर दर्ज बारह बोर डीबीबीएल गन नं. 17854/सी/4 को बतौर उत्तराधिकारी प्राप्त करने के उद्देश्य अपने नाम से शस्त्र लाईसेंस जारी करवाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था। आवेदन पत्र में कमी पूर्ति हेतु दिनांक 21.6.18 को पत्र देने पर अपीलांट द्वारा कमी पूर्ति कर दी गई थी। उसके बाद विधि शाखा के रीडर के द्वारा दिनांक 4.4.19 को लाईसेंस जारी करने में कोई आपत्ति नहीं होने की रिपोर्ट डी.एम. को पेश की गई। लेकिन उसके बाद बिना डीएम के हस्ताक्षरों के पुनश्चः दिनांक 2.5.19 को आवेदन पत्र निरस्त करने हेतु पत्र अवलोकनार्थ, अनुमोदनार्थ हस्ताक्षरार्थ प्रस्तुत है, लिख कर पत्रावली डीएम साहब को भेजी और उसी पत्र दिनांक 13.5.19 से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज करने का जारी कर दिया गया। इस प्रकार स्पष्ट है कि अपीलांट का प्रार्थना पत्र डी.एम. चूरू द्वारा खारिज ना कर विधि शाखा के लिपिक के द्वारा जो अनुशंषा की गई उसी आधार पर पत्र जारी कर दिया है। इस कारण कानून के मान्य प्रावधानों के तहत आदेश जेर बहस आदेश की परिभाषा में नहीं आता है। अपील स्वीकार किये जाने योग्य है। मियाद के बिन्दु के संबंध में अदालत मातहत की पत्रावली से स्पष्ट जाहिर है कि अपीलांट को आदेश जारी करने की कोई सूचना नहीं दी गई है। इसलिए मियाद कन्डोन करने योग्य है। अतः उपरोक्त तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावे।

4. राज्य पक्ष की ओर से विद्वान सहा.लोक अभियोजक ने बहस करते हुए कथन किया कि अपीलांट ने अपने स्वर्गीय पिता के लाईसेंस पर दर्ज हथियार को बतौर उत्तराधिकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से अपने नाम से नवीन शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है, जबकि हथियार को उत्तराधिकार में दिये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अपीलांट अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष उसे शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी करने हेतु दिये गये कारणों एवं अपने जीवन को खतरा होने के संबंध में समुचित साक्ष्य एवम्

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

दस्तावेज आदि प्रस्तुत करने में असफल रहा है। अपीलान्ट के आवेदन पर जिला पुलिस अधीक्षक, चूरू से प्राप्त रिपोर्ट में आवेदक के जीवन को खतरा सम्बन्धी कोई टिप्पणी नहीं होने का आधार लेते हुए जिला मजिस्ट्रेट, चूरु के आदेश दिनांक 13.05.2019 द्वारा अपीलान्ट का आवेदन पत्र निरस्त किया गया है । अतः अपील अपीलांट निरस्त फरमाई जावे।

5. हमने विद्वान अभिभाषकगण की बहस को मध्यनजर रखते हुए अधिनस्थ न्यायालय के अभिलेख का गहनता से अध्ययन व मनन किया। अपीलांट ने अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की है। अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब के संबंध में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत किया है। इस प्रार्थना पत्र के समर्थन में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र में उल्लेखित विलम्ब के कारणों को उचित मानते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है। प्रकरण अनुसार अपीलांट ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपने नाम से नवीन शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी करवाने हेतु निर्धारित प्रपत्र में जिला मजिस्ट्रेट, चूरु के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी लिखित बहस में मुख्यतः यह कथन किया है कि अपीलाधीन आदेश से संबंधित आदेशिका में रीडर द्वारा की गई दो भिन्न टिप्पणीयों का आधार लेकर अपीलांट का नवीन शस्त्र अनुज्ञा पत्र का आवेदन पत्र निरस्त करने का सूचनात्मक पत्र भिजवाया है, जो कानून के मान्य प्रावधानों के तहत आदेश जेर बहस आदेश की परिभाषा में नहीं आता है। राज्य पक्ष की ओर से विद्वान सहा.लोक अभियोजक ने बहस करते हुए कथन किया कि अपीलांट ने अपने स्वर्गीय पिता के लाईसेंस पर दर्ज हथियार को बतौर उत्तराधिकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से अपने नाम से नवीन शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है, जबकि हथियार को उत्तराधिकार में दिये जाने का कोई औचित्य नहीं है, जिससे हम सहमत हैं। अपीलांट ने अधिनस्थ न्यायालय एवं हमारे समक्ष अपने जीवन को खतरा होने के संबंध में समुचित साक्ष्य एवम् दस्तावेज आदि प्रस्तुत नहीं किये हैं। जिला पुलिस अधीक्षक, चूरू से प्राप्त रिपोर्ट में भी आवेदक के जीवन को खतरा सम्बन्धी कोई टिप्पणी नहीं की गयी है एवं अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जीवन के खतरे सम्बन्धी कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये जाने से जिला मजिस्ट्रेट, चूरु ने अपने आदेश/पत्र दिनांक 13.05.19 से अपीलान्ट का आवेदन पत्र निरस्त करने पर अपीलान्ट को सूचित किया गया है। अपीलांट द्वारा जीवन को खतरा होने एवम् आत्म सुरक्षा के सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को शस्त्र अनुज्ञा पत्र दिये जाने के संबंध में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.05.19 में जो आधार लिये गये हैं, वह उचित है। हम अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाना उचित नहीं समझते हैं। अतः उपरोक्त तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए जिला

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

मजिस्ट्रेट, चूरू का अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.05.2019 यथावत रखते हुए अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

6. आदेश आज दिनांक 13.09.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। तद्अनुसार अपील अपीलान्ट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

(भँवर लाल मेहरा)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर